



दिनांक :- 05 / 02 / 2021

::प्रेस नोट::

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर में मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजन के अन्तर्गत के सात दिवसीय (दिनांक 04/02/21 से 11/02/21 तक) विधिक अनुसंधान, विकास पद्धति एवं तकनीक विषय पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन हो रहा है।

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर में मध्यप्रदेश द्वारा विधिक अनुसंधान, शिक्षण पद्धति के अन्तर्गत ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला दिनांक 05/02/21 को प्रातः 11 बजे से आरम्भ होकर दोपहर 1 बजे तक सम्पन्न हुआ।

कार्यशाला के प्रारम्भ में प्रो.सुहैल अहमद वाणी द्वारा ऑनलाइन कार्यशाला में उपस्थित मुख्य वक्ता डॉ. विकास गौधी (सहप्राध्यापक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गुजरात) का स्वागत करते हुए अतिथि परिचय का वाचन किया गया। ऑनलाइन कार्यशाला में उपस्थित मुख्य वक्ता डॉ. विकास गौधी (Associate Prof. Law NLU, Gujarat) द्वारा अपने उद्बोधन में Teaching Law, Reading Research & Review विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि कक्षा में गैर औपचारिक तरीके से पढ़ाना चाहिए। प्रत्येक प्राध्यापक को 45 मिनट के व्याख्यान के लिए कम से कम तीन घण्टे का अध्ययन घर पर अवश्य करना चाहिए। शिक्षकों को Text Book, Journals एवं Case Laws का समन्वय कर पढ़ाना चाहिए। मौलिक विषयों एवं प्रक्रियात्मक विषयों का अध्यापन का तरीका अलग-अलग होना चाहिए, इसके लिए श्री गौधी ने सिविल प्रक्रिया संहिता एवं संविदा विधि के पढाये जाने के तरीको पर उदाहरण देकर समझाया। प्रो.गौधी के शोध कैसे किया जाये। इस विषय पर सारगर्भित तरीके से अपना वक्तव्य दिया।

डॉ. इनामुर्रहमान (प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर) द्वारा ऑनलाइन कार्यशाला के अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विधिक शिक्षा के महत्व को बताते हुए मुख्य वक्ता द्वारा दिये गये corporate teaching के संदर्भ में बताया गया कि अगर शिक्षक इस पद्धति को अपनाते हैं तो निश्चय ही शिक्षण कार्य में गुणवत्ता आयेगी क्योंकि प्रत्येक शिक्षक दुसरे अन्य शिक्षक और विद्यार्थियों के समक्ष व्याख्यान देगा तो निश्चय ही उसके लिए अधिक तैयारी करनी होगी। आज के दौर में शिक्षक और छात्र के बीच जो दूरी हो गयी है वह दूरी भी कम होगी। दूसरे अध्ययन के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि अगर विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन करता है तो किसी एक पुस्तक को आधार बनाकर अध्ययन करे और दूसरी पुस्तक को मे आधार पुस्तक के अतिरिक्त जो नयी बातें बतायी गयी हैं उनको नोट डाउन करे। इस प्रकार वो आसानी से अपने शोध विषय से संबंधित बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है और अपने ज्ञान का संवर्द्धन कर सकता है। एक शोधार्थी को सबसे पहले शोध सामाग्री को एकत्रित करना चाहिए। अपने शोध विषय से सम्बन्धित शोधार्थी द्वारा Text Book, Journal, Article, Referred book आदि का अध्ययन करते हुए शोध विषय से सम्बन्धित उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रमुख वाद का भी अध्ययन करना चाहिए तथा उस विषय का विधि शास्त्रीय अध्ययन भी शोधार्थी को करना चाहिए। शोध के सैद्धांतिक पक्ष को कैसे समाज के लिए लाभ दायक है और उसका उपयोग समाज द्वारा कैसे किया जा सकता है, इस पर भी शोधार्थी द्वारा अपने शोध अध्ययन के दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थियों के



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)



जी.ए.सी.सी.केम्पस, ए.बी.रोड़ इन्दौर फोन नं 0731-2971400

E-mail: principalgnlcindore@yahoo.com

बीच की दूरी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। शिक्षक को सदैव नये तरीके से साल दर साल पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थी के लिए ज्ञान के सभी द्वार खोल देने चाहिए। शिक्षक को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं किंतु मुख्य कार्य शिक्षा देना ही है। शिक्षक को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए रिसर्च पेपर लिखना, कांफ्रेंस अटेंड करना चाहिए और अपने कार्य के लिए समर्पित और अपडेट रहना चाहिए।

ऑनलाइन कार्यशाला कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक डॉ.सुरेश सिलावट (अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग इन्दौर संभाग), संरक्षक डॉ. इनामुर्रहमान (प्राचार्य शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर), निदेशक डॉ. निर्मल कुमार पगारिया संयोजक प्रो. नरेन्द्र देव एवं सहसंयोजक डॉ. मोजिज मिर्जा बेग, संयुक्त प्रो. पवन कुमार भदौरिया, सचिव- प्रो.विपिन कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, प्रो.फिरोज अहमद मीर, प्रो. सुहैल वाणी एवं आयोजन समिति के सदस्य डॉ. सुनीता असाटी, प्रो.जतिन वर्मा, प्रो.राहुल सुखानी एवं तकनीकी टीम में श्री राजेश वर्मा एवं शम्भू मेहता द्वारा इस कार्यशाला को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। कार्यक्रम के अन्त में आभार प्रो. पवन कुमार भदौरिया द्वारा व्यक्त किया गया।

11/02/2021
5.2.2021
(डॉ. इनामुर्रहमान)
प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय,
इन्दौर (म.प्र)